राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः–मुसप्र / 2019 / 1025 दिनांकः–6/12/19

आदेश

आवासीय अभियंता, खण्ड–नवम एवं उप आवासन आयुक्त वृत्त–द्वितीय, जयपुर एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता–प्रथम, जयपुर के अधीन द्वारका रेजीडेंसी आवासीय योजना में मध्यम आय वर्ग–ब के कुल 12 फ्लैटों का निस्तारण खुली बिक्री योजना के माध्यम से निस्तारित किये जाने के सम्बंध में की गई अनुशंषा के आधार पर खुली बिक्री योजना में नगद भुगतान पद्वति से निस्तारण किये जाने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है। खुली बिक्री योजना से निस्तारण किये जाने वाले फ्लेटों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रं. सं.	खण्ड का नाम एवं योजना	आय वर्ग	फ्लेट संख्या	उपलब्ध कुल फ्लेट्स की संख्या
1	द्वारका रेजीडेंसी (बी+एस+12)	मध्यम आय वर्ग–ब	DWR/A-206, DWR/A-203, DWR/A-307 DWR/A-401, DWR/A-504, DWR/A-505, DWR/A-506, DWR/A-601, DWR/A-608, DWR/A-906, DWR/A-1002, DWR/A-1107	12
			Total	12

सबंधित उप आवासन आयुक्त, एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वारा उल्लेखित सारणी में उपलब्ध आवास / फ्लैट का खुली बिकी योजना के माध्यम से नकद भुगतान पद्धति में निस्तारण हेतु जारी आदेश क्रमांक मुसप्र / 2017 / 1191 दिनांक 27.03.2017 में निम्न वर्णित शर्तो की पालना सुनिश्चित करेगें :–

1. फ्लेटों (आवासों) आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है।
2. उक्त फ्लेटों (आवासों) के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य फ्लेट खुली बिकी योजना हेतु रिक्त नहीं है।
3. उक्त फ्लेटों (आवासों) का निस्तारण उचित प्रचार–प्रसार के माध्यम से किया जावें।
4. फ्लेटों (आवासों) का निस्तारण खुली बिकी योजना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती यह सुनिश्चित कर ही निस्तारण करें।
5. प्रस्तावित फ्लेटों (आवासो) में किसी भी प्रकार का विवाष / न्यायिक विवाद लम्बित नहीं है, एवं विधिवत निरस्त किये गये है साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि निस्तारण हेतु प्रस्तावित फ्लेटों बाबत किसी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी फ्लेट किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन / शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।

उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त महोदय का पैरा संख्या 10 / एन पर अनुमोदन प्राप्त है।

6/12

(कश्मी कौर रॉन)
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक